

इलाहाबाद हाईकोर्ट के विवादित आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म के प्रयास में शरीर के अंगों को पकड़ने व कपड़े खींचने को अपराध नहीं माना था

नयी दिल्ली, 26 मार्च। उच्चतम न्यायालय ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के उस विवादित आदेश पर बुधवार को रोक लगा दी, जिसमें कहा गया था कि नाबालिग लड़की के स्तन पकड़ना, उसके पायजामे का नाड़ा तोड़ना और उसे पुलिस के नीचे खींचने की कोशिश करना दुष्कर्म के प्रयास के अपराध की श्रेणी में नहीं आता। न्यायमूर्ति बी.आर. गवई और न्यायमूर्ति ए.जी. मसीह की पीठ ने मामले पर स्वतः संज्ञान लेते हुए इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले से कटौत असहमति व्यक्त की और इसे 'चौकाने वाला' बताया।

न्यायमूर्ति गवई ने टिप्पणी की, यह एक गंभीर मामला है। न्यायाधीश (इलाहाबाद उच्च न्यायालय) की ओर से पूरी तरह असेवेदनशीलता बरती गई है। यह समान जारी करने के चरण में था। हमें न्यायाधीश के खिलाफ ऐसे कठोर शब्दों का उपयोग करने के लिए खेद है।

'किसान सिर्फ ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

इसीलिए हम किसानों को 2027 तक दिन में बिजली देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर किसान उत्पादन संगठन मार्गदर्शिका का विमोचन किया तथा लाभार्थियों से संवाद किया। इस दौरान, सफल एफपीओ पर लघु फिल्म का प्रदर्शन भी किया गया। इससे पहले, मुख्यमंत्री ने राज्य स्तरीय किसान उत्पादक संगठन मेले का फीता काटकर उद्घाटन किया। इस दौरान राजस्थान किसान आयोग के अध्यक्ष सी. आर. चौधरी, विधायक सिद्धि कुमारी, डॉ. विश्वनाथ मेघवाल, ताराचन्द सारस्वत, अंशुमान सिंह भाटी, जेटानंद व्यास सहित बड़ी संख्या में किसान एवं आमजन उपस्थित थे।

उपमुख्यमंत्री ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

जिला पुलिस और लाइन का जाब्ता जयपुर सेंट्रल जेल पहुंचा तथा जेल विभाग को सूचना देकर सर्व शुरु कर दी।

जस्टिस बी.आर. गवई और ए.जी. मसीह की बेंच ने स्वतः संज्ञान लेकर हाईकोर्ट के फैसले को चौंकाने वाला बताया और असहमति जताई।

पीठ ने इन टिप्पणियों पर रोक लगाने का आदेश दिया और भारत संघ, उत्तर प्रदेश राज्य और उच्च न्यायालय की कार्यवाही में शामिल पक्षों को नोटिस जारी किए। न्यायमूर्ति गवई ने कहा कि हालांकि शीर्ष न्यायालय को आमतौर पर इस चरण में रोक लगाने में हिचक है, लेकिन उच्च न्यायालय के आदेश के पैराग्राफ 21, 24 और 26 में की गयी टिप्पणियां कानून के सिद्धांतों के विपरीत थीं और एक अमानवीय दृष्टिकोण को दर्शाती थीं। सॉलिसिटर जनरल गुप्ता मेहता ने इस बात पर सहमति जताते हुए कि यह एक 'चौकाने वाला' फैसला था, उन्होंने कहा कि जिस तरह से मामले को लिया गया, वह बेहद गंभीर था। उन्होंने सुझाव दिया

कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को रोस्टर के मास्टर के रूप में कदम उठाने चाहिए। वरिष्ठ अधिवक्ता शोभा गुप्ता की ओर से एनजीओ 'जी द वूमन ऑफ इंडिया' का प्रतिनिधित्व करते हुए विवादास्पद फैसले को उजागर करते हुए एक पत्र लिखे जाने के बाद मामला शीर्ष न्यायालय पहुंचा। एक अन्य एनजीओ 'जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रन अलायंस' ने कहा कि वह भी मामले में पीड़िता का प्रतिनिधित्व कर रहा है। शीर्ष न्यायालय ने कहा, एनजीओ 'वी द वूमन ऑफ इंडिया' ने हमारे संज्ञान में लाया कि 17 मार्च, 2025 को पारित फैसले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश द्वारा

की गई कुछ टिप्पणियों से पता चलता है कि फैसले के लेखक में संवेदनशीलता की कमी है। शीर्ष न्यायालय ने कहा कि यह फैसला अचानक नहीं सुनाया गया, बल्कि करीब चार महीने तक इसे सुरक्षित रखने के बाद सुनाया गया। इसका मतलब यह है कि न्यायाधीश ने उचित विचार-विमर्श और दिमाग लगाने के बाद फैसला सुनाया। शीर्ष न्यायालय की पीठ ने कहा कि चूंकि टिप्पणियां कानून के सिद्धांतों से पूरी तरह अनभिज्ञ हैं और पूरी तरह असेवेदनशील और अमानवीय दृष्टिकोण को दर्शाती हैं, इसलिए टिप्पणियों पर रोक लगाना मजबूरी है।

गौरतलब है कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 17 मार्च-2025 को अपने आदेश में कहा था कि इस तरह के कृत्य प्रथम दृष्टया यौन अपराध बाल संरक्षण अधिनियम (पोर्सको) के तहत गंभीर यौन उत्पीड़न का अपराध बनेगा, जिसमें कम सजा का प्रावधान है।

कांग्रेस के 70 सांसद लोकसभाध्यक्ष बिड़ला से मिले

नयी दिल्ली, 26 मार्च। लोकसभा के कांग्रेस के उपनेता गौरव गोर्गोई के नेतृत्व में पार्टी के 70 सदस्यों ने बुधवार को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला से उनके कक्ष में मुलाकात की और विषय के नेता राहुल गांधी को बोलने नहीं दिए जाने का मुद्दा उठाते हुए अपनी नाराजगी व्यक्त की। गोर्गोई के साथ इस दौरान कांग्रेस महासचिव तथा पार्टी के लोकसभा सदस्य के.सी. वेणुगोपाल, लोकसभा में पार्टी के सचेतक मणिकम टैगोर सहित, पार्टी के 70 लोकसभा सदस्यों ने बिरला से मिलकर गांधी को बोलने नहीं दिए जाने का मुद्दा उठाते हुए विरोध दर्ज किया।

पेपर लीक केस, ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

परीक्षाओं के पेपर लीक करने लग गया। कनिष्ठ अभियंता भर्ती परीक्षा 2020 के दौरान भी इन सभी ने पेपर लीक किया था, जिससे परीक्षा रद्द करनी पड़ी थी। राजेश कुमार यादव इस स्कूल में परीक्षा प्रभारी थे और उसने स्टूडेंट्स रुम में यूनिट भाम्बू को प्रवेश करवाकर मोबाइल से पेपर की फोटो खिंचवाई थी। राजेश कुमार यादव ने पेपर लीक के जरिए एक बेटे को पी.डब्ल्यू.डी. में इंजीनियर बनवाया था। वह भी महाराजी स्कूल में फस्ट ग्रेड टीचर बनवाया था।

अमेरिका से आयातित सामान पर भारत...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

हो रही, अमेरिका ग्लोबल टैरिफ पॉलिसी का जवाब है, जिसने अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उथल-पुथल मचा दी है और कई देशों की चिंताएं बढ़ा दी थी, जिसमें अमेरिका के मित्र देश भी शामिल हैं। अमेरिकन नीति का साइड इफेक्ट कम करने के लिए भारत सक्रिय कदम उठा रहा है।

अमेरिका के असिस्टेंट यूएस ट्रेड रिज्नेटेटिव ब्रैंडन लिंग के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल वार्ता के लिए भारत आया था। चर्चा में एक न्यायोचित प्रेमवर्क तैयार करने की बात की गई ताकि दोनों देशों में द्विपक्षीय ट्रेड एग्रीमेंट हो सके। यात्रा में बताया गया कि दोनों देश व्यापारिक विवाद हल करने व आर्थिक सहयोग सुदृढ़ करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इन वार्ता का आधार 2025 के अंत तक ट्रेड एग्रीमेंट को अंतिम रूप देना था और आपसी व्यापार 200 बिलियन डॉलर से बढ़ाकर 2030 तक 500 बिलियन डॉलर तक करना था। टैरिफ कटौती और बाजार तक पहुंच, खासकर कृषि व औद्योगिक उत्पाद के क्षेत्र में, पर चर्चा की गई।

घरेलू निर्माण को प्रोत्साहन देने व निर्यात प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने के लिए भारत ने इलेक्ट्रिक वाहन बैटरियों व मोबाइल फोन बनाने के लिए आवश्यक वस्तुओं पर आयात शुल्क हटाने की घोषणा की है। यह निर्णय अमेरिकी

■ फैडरेशन ऑफ इण्डियन एक्सपोर्ट ऑर्गजाइज़ेशन ने भारत सरकार से आग्रह किया है कि सरकार उनकी मदद करे, ताकि वे भारत में निर्मित सामान को अमेरिका में 'डिस्प्ले' कर सकें। उदाहरण के लिये भारतीय बिज़नेस के लिए, अमेरिका के ट्रेड-एक्सचोप में भाग लेना आसान करे।

टैरिफ का सामना कर रहे घरेलू उत्पादकों को मदद देने के लिए है। इसके अलावा भारत की एक संसदीय समिति ने सरकार को आयातित कच्चे माल पर टैरिफ घटाने का सुझाव दिया। इस सिफारिश का उद्देश्य घरेलू निर्माताओं को कर प्रणाली के बदलाव से राहत है, जहाँ कच्चे माल पर टैक्स तैयार उत्पाद से अधिक होता है और इससे घरेलू उत्पादकों को नुकसान हो सकता है।

सरकारी विश्लेषण से पता चलता है कि अमेरिकन टैरिफ के नए प्रस्ताव से भारत से हो रहे अमेरिकी निर्यात का 87 प्रतिशत प्रभावित हो सकता है। इस गिरावट को रोकने के लिए भारत 5.5 प्रतिशत अमेरिकन आयात से 5 से 3.0 प्रतिशत तक शुल्क कटौती कर सकता है और कई उत्पादों पर तो टैक्स में भारी कटौती हो सकती है और कुछ को पूरी तरह से खत्म किया जा सकता है। हालांकि प्रस्ताव पर अभी चर्चा ही चल रही है। अंतिम निर्णय नहीं हुआ है। वैकल्पिक उपयोग पर भी चर्चा चल रही

संगठन के महादेशिक अजय सहाय ने सरकार से मांग की है कि अमेरिकन व्यापार प्रदर्शनियों में भारतीयों की सक्रिय भागीदारी के लिए मदद देने की मांग की है। भारत के इंजीनियरिंग क्षेत्र के लिए स्टील और एल्युमिनियम पर अमेरिकन टैरिफ चिंता का विषय है। इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट प्रमोशन कार्डिनल ने सरकार से अमेरिकन सामानों जैसे स्टील स्क्रैप, नहर, कॉस्टिंग्स और फौजिंग पर टैक्स घटाने की मांग की है।

सदा से वित्तीय संयम का पाठ पढ़ाने वाले अमीर ...

वित्तीय संयम का पाठ पढ़ाने वाले अमीर ...

वित्तीय संयम का पाठ पढ़ाने वाले अमीर ...

वित्तीय संयम का पाठ पढ़ाने वाले अमीर ...

वित्तीय संयम का पाठ पढ़ाने वाले अमीर ...

वित्तीय संयम का पाठ पढ़ाने वाले अमीर ...

वित्तीय संयम का पाठ पढ़ाने वाले अमीर ...

वित्तीय संयम का पाठ पढ़ाने वाले अमीर ...

वित्तीय संयम का पाठ पढ़ाने वाले अमीर ...

वित्तीय संयम का पाठ पढ़ाने वाले अमीर ...

वित्तीय संयम का पाठ पढ़ाने वाले अमीर ...

वित्तीय संयम का पाठ पढ़ाने वाले अमीर ...

वित्तीय संयम का पाठ पढ़ाने वाले अमीर ...

वित्तीय संयम का पाठ पढ़ाने वाले अमीर ...

न्यायालय कुछ ...

न्यायालय कुछ ...

न्यायालय कुछ ...

MARUTI SUZUKI ARENA

शानदार एरीना महीने में अविश्वसनीय ऑफर्स।

जल्दी कीजिए, ऑफर्स 31 मार्च तक।

5 DAYS LEFT

BUY BEFORE PRICE HIKE OF UP TO 4%

3 years 100 000 km WARRANTY**
EXTENDABLE UPTO 6 YEARS

ALTO K10 ₹83 100* | SWIFT ₹58 100* | WAGONR ₹73 100*

SCAN TO CONNECT TO SHOWROOM NEAR YOU

E-BOOK TODAY AT WWW.MARUTISUZUKI.COM

Contact us at 1800-102-1800

T&C Apply Features and accessories shown may not be part of standard fitment. Black Glass Shade on the vehicle is due to the lighting effect. Images used are for illustration purposes only. Car color may vary due to printing on paper. Offers vary across variants. Maruti Suzuki India Limited reserves the right to discontinue offers without notice. *Offer includes consumer offer, exchange bonus and institutional or rural offer (wherever applicable) on selected models/variants. Above mentioned savings amount is the value of maximum savings on selected models. Offer valid with selected financiers only. All outlets are open on Sundays. **3 years or 100 000 km whichever is earlier. Above offers are valid till 31st March, 2025.